

आदेश पर कार्यवाही के लिए दिनांक 21.2.2023 तक संचालित।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

21.2.2023

**नामान्तरण अपील वाद सं० 06/2020-21**  
**महेन्द्र पाल वगैरह प्रति जानकी यादव वगैरह**  
**आदेश**

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, केतार के नामांतरण वाद सं० 249R27/2018-19 में दिनांक 05.12.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, केतार से अभिलेख की मांग की गयी। अंचल अधिकारी केतार से अभिलेख प्राप्त है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:- 01 अंचल अधिकारी, केतार के नामांतरण वाद संख्या 249R27/2018-19 में दिनांक 05.12.2019 में ग्राम बत्तोकला पोस्ट पाचाडुमर अंचल व थाना केतार जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड के खाता नं० पुराना 120 नया 126 प्लॉट नं० पुराना 610 नया 1073 रकबा  $1.96\frac{1}{4}$  एकड़ भूमि का नामांतरण प्रत्यर्थी के आवेदन पत्र पर हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण अपील दायर कर रहे हैं।

02 ग्राम बत्तोकला पोस्ट पाचाडुमर अंचल व थाना केतार जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड के खाता नं० 120 प्लॉट नं० 658 रकबा 3.00 एकड़ प्लॉट नं० 664 का रकबा 6.00 एकड़ का प्लॉट नं० 610 रकबा 16.00 एकड़ हाल स्थल पर रकबा 13.00 एकड़ भूमि रुद्र प्रताप नाथ शाही तथा फलेन्द्र नाथ शाही ने तुलसी कहार तथा शिवनारायण सिंह के नाम से संयुक्त पट्टा किए। पट्टा के आधार पर दोनों का जमींदारी जाने के बाद जमाबंदी एक साथ कायम हुआ तथा लगान रसीद कटने लगा।

03 तुलसी कहार अपने हिस्से की भूमि खाता नं० 120 प्लॉट नं० 658, 664 एवं 610 की आधी भूमि 12.50 एकड़ भूमि प्रवील पाल, रामरती देवी, रामगृही पाल, रामचन्द्र भगत, मुखलाल विश्वकर्मा परीखा मिस्त्री को बिक्री कर दिए तथा दखल कब्जा सौंप दिए। दखल कब्जा के आधार पर दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद कटते आ रहा है।

04 शिवनारायण सिंह अपने हिस्से की भूमि खाता नं० 120 प्लॉट नं० 658, 664, 610 रकबा 12.50 एकड़ भूमि विभिन्न रैयतों के साथ हरी चैरो, सरयु चैरो, लाल हेमेन्द्र प्रताप शाही, राजगृहि पाल, सुभागी देवी,

लगातार .....

  
 No. 1

आदेश की क्रम संख्या और तारीख



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1	2	3
	<p>परीखा मिस्त्री, मुखलाल मिस्त्री के साथ विक्री कर दिए तथा दखल कब्जा सौंप दिए। शिवनारायण सिंह तथा बच्चु सिंह दोनों भाईयों के पिता स्व0 अकलु सिंह थे। शिवनारायण सिंह मुखन महतो को प्लॉट नं0 658 में रकबा 1.50 एकड़ बेच दिए तथा यादव जी को प्लॉट नं0 664 में रकबा 2.00 एकड़ बेचे। बच्चु सिंह महेन्द्र पाल वगैरह को पुराना प्लॉट नं0 610 नया प्लॉट नं0 1045 में 30 डीसमील तथा कृष्णा पाल वगैरह को प्लॉट नं0 664 में रकबा 1.50 एकड़ भूमि विक्री कर दिए।</p> <p>05 इस तरह बच्चु सिंह एवं शिवनारायण सिंह अपने हिरसे से अधिक भी भूमि विभिन्न रैयतों के साथ विक्री कर दिए तथा दखल कब्जा सौंप दिए।</p> <p>06 अपील वाली भूमि शिवनारायण सिंह, मुखु महतो पिता स्व0 नन्हकु महतो को पूर्व में अपने हिरसे से अधिक की भूमि बेच दिए। इसके बाद प्रत्यर्थी भुखु महतो को भूमि का विक्री किए।</p> <p>07 प्रत्यर्थी अपने भूमि का नामांतरण हेतु आवेदन पत्र अंचल अधिकारी, केतार के पास ग्राम बत्तोकला, पोस्ट पाचाडुमर अंचल व थाना केतार, जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड की उक्त भूमि नामांतरण हेतु दाखिल किये जिसका जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी केतार के द्वारा हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से माँग की गई। हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी ने नामांतरण की स्वीकृति प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांक 05.12.2019 ई0 को पारित किया।</p> <p>08 अपीलार्थीगण जब हल्का कर्मचारी के पास अपने नाम से लगान रसीद कटाने गए तब पता चला कि प्रत्यर्थी के नाम से उक्त भूमि का दाखिल खारिज हो चुका है तब अपीलार्थी अंचल अधिकारी, केतार के पास उक्त दाखिल खारिज की प्रमाणित प्रति लेने हेतु दिनांक 15.06.2020 ई0 को दाखिल किए तथा उसी दिनांक 15.06.2020 ई0 को ही अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा नकल दिया गया। दाखिल खारिज की जानकारी अपीलार्थीगण को हल्का कर्मचारी के द्वारा दिनांक 15.06.2020 ई0 को दी गई तथा उसी दिन जानकारी हुई तब तिथि की जानकारी से अपील दायर किया जा रहा है। जो समय सीमा के अन्दर है।</p> <p>अतः अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा नामांतरण वाद सं0 249R27/2018-19 में दिनांक 05.12.2019 ई0 को पारित आदेश को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल राजस्व कागजात निम्न प्रकार है :-</p> <p>01 लगान रसीद का छायाप्रति ..... 07 फर्द  लगतातर .....</p>	

Page No. 2

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>02 केवाला मुखलाल विश्वकर्मा का छायाप्रति ..... 04 फर्द            03 केवाला रामगृही भगत का छायाप्रति ..... 03 फर्द            04 केवाला महेन्द्र पाल वगैरह का छायाप्रति ..... 06 फर्द            05 केवाला सुभागी देवी का छायाप्रति ..... 05 फर्द            06 केवाला परीखा मिस्त्री का छायाप्रति ..... 04 फर्द            07 केवाला रामचन्द्र भगत वगैरह का छायाप्रति ..... 11 फर्द            08 केवाला मुन्द्रिका भगत वगैरह का छायाप्रति ..... 04 फर्द            09 केवाला मुखलाल विश्वकर्मा का छायाप्रति ..... 04 फर्द            10 सुभागी देवी के नामे लगान रसीद की छायाप्रति ..... 01 फर्द            11 हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति ..... 01 फर्द</p> <p>प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:- 01 प्रस्तुत अपील बाद अपीलार्थी के द्वारा ग्राम बत्तोकला के पुराना खाता नं0 120 नया खाता नं 126 पुराना प्लॉट नं0 610 नया प्लॉट नं0 1073 रकबा <math>1.96\frac{1}{4}</math> एकड़ भूमि पर गलत तथ्य देकर अपील कालबाधित होने के पश्चात् दायर किया गया है। जो खारीज योग्य है।</p> <p>02 वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में शिवनारायण सिंह की थी जिनसे वजरिये केवाला सं0 2762 दिनांक 04.04.1996 से प्रत्यर्थी ने खरीद किया एवं दखल कब्जे में आए एवं अंचल से नामांतरण कराकर लगान रसीद कटी।</p> <p>03 प्रश्नगत भूमि पर खरीदगी की तिथि से लेकर आजतक प्रत्यर्थी का दखल कब्जा चला आ रहा है।</p> <p>04 अपीलार्थी ने पारा नं0 2 में जो तथ्य किए है वह पूर्णतः गलत है जमींदार के द्वारा तुलसी कहार को कोई भूमि प्लॉट नं0 610 में नहीं दिया बल्कि यह भूमि शिवनारायण सिंह को किए जिनसे प्रत्यर्थी ने भूमि क्रय किया है जिसका नया खाता नं0 126 नया प्लॉट नं0 1073 बना है।</p> <p>05 अपीलार्थी ने पारा नं0 5 में जो तथ्य दिए है उसका प्रत्यर्थी खण्डन करते है वैसी कोई बात नहीं है।</p> <p>06 अपीलार्थी के पारा नं0 5, 6 का भी पूर्णतः खण्डन करते है शिवनारायण सिंह ने हिस्से से अधिक भूमि विक्री नहीं किया है।</p> <p>07 अंचल अधिकारी ने विधिवत जॉच कराया हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक ने प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थी का दखल कब्जा पाकर नामांतरण हेतु अनुशंसा किया जिसके आधार पर प्रत्यर्थी के नाम</p> <p style="text-align: right;">..... लगातार .....</p>	

AP  
Page No. 3

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3
	<p>नामांतरण कर ऑनलाईन रसीद निर्गत की गई है।</p> <p>08 अपीलार्थी का एक इंच भूमि पर दखल कब्जा नहीं है क्योंकि तुलसी कहार को भूमि बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं था।</p> <p>09 अपीलार्थी के जितने भी तथ्य अपने अपील आवेदन में दिया है वह पूर्णतः गलत है एवं अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज योग्य है।</p> <p>10 अंचल अधिकारी ने जो नामांतरण किया है वह विधि सम्मत है।</p> <p>अतः प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, केतार द्वारा नामांतरण वाद सं0 249R27/2018-19 में दिनांक 05.12.2019 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:-</p> <p>01 केवाला का छायाप्रति ..... 09 फर्द 02 ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति ..... 01 फर्द</p> <p>उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल राजस्व दस्तावेज का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि प्रत्यर्थीगण ने विक्रेता शिवनारायण सिंह पिता स्व0 कुंवर अकलु सिंह से केवाला सं0 2162 दिनांक 04.04.1996 के द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा बतोकला के गत सर्वे के खाता सं0 120 प्लॉट सं0 610 रकबा <math>1.96\frac{1}{4}</math> एकड़ भूमि क्रय किये है। इसी भूमि का हाल सर्वे के अनुसार खाता सं0 126 प्लॉट सं0 1073 रकबा <math>1.96\frac{1}{4}</math> एकड़ भूमि का अंचल अधिकारी केतार के द्वारा नामांतरण वाद सं0 249R27/2018-19 से दाखिल खारिज करते हुए मांग संघारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि का हाल सर्वे खतियान रैयत शिवनारायण सिंह एवं बच्चु सिंह पिता अकलु सिंह के नाम से खाता सं0 126 प्लॉट सं0 1073 रकबा 4.22 एकड़ वो अन्य प्लॉट के साथ कुल रकबा 7.15 एकड़ भूमि का खतियान बना है। अपीलार्थीगण का कथन है कि गत सर्वे के खाता सं0 120 प्लॉट सं0 658, 610, 664 क्रमशः रकबा 3.00 एकड़ 16.00 एकड़ 6.00 एकड़ कुल रकबा 25.00 एकड़ भूमि है। कुल रकबा 25.00 एकड़ भूमि में से एक हिस्सेदार तुलसी राम ने केवाला सं0 1165 दिनांक 12.06.1967 के द्वारा क्रेता रामचन्द्र भगत वगैरह से खाता सं0 120 प्लॉट सं0 658, 610, 664 क्रमशः रकबा 1.50ए0, 8.00ए0, 3.00ए0 कुल रकबा 12.50 एकड़ भूमि बिक्री किये है जिसका दाखिल खारिज होकर वर्तमान में रकबा 10.00 एकड़ भूमि सहित एवं विभिन्न केवाला से विक्रेता शिवनारायण सिंह को</p> <p>..... लगातार .....</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>अन्य विक्रेता से भूमि क्रय किये है। अभिलेख में संलग्न अपीलार्थीगण का कुल आठ केवाला एवं लगान रसीद के अनुसार गत सर्वे के मांगपंजी 2 पर संघारित होकर लगान रसीद रकबा <math>16.81\frac{3}{4}</math> एकड़ भूमि का लगान रसीद निर्गत है। स्पष्ट है कि वर्तमान में दाखिल खारिज की प्रक्रिया हाल सर्वे के अनुसार किया जाता है। उभय पक्ष के द्वारा रकबा 25.00 एकड़ भूमि का हाल सर्वे में खाता प्लॉट क्या बना है, अस्पष्ट है एवं भूमि पर दखल कब्जा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, केतार को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि उभय पक्ष से नामांतरण आवेदन पत्र प्राप्त कर नामांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जाँच कर नामांतरण प्रक्रिया को अपनाते हुए क्रेता का दखल कब्जा, जमाबंदी के अनुसार आवश्यक/अग्रतर कर्रवाई करना सुनिश्चित करें।</p> <p>इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, केतार को अनुपालन हेतु भेंजे। लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">               भूमि सुधार उपसमाहर्ता,              श्री बंशीधर नगर।         </div> <div style="text-align: center;">               भूमि सुधार उपसमाहर्ता,              श्री बंशीधर नगर।         </div> </div>	